

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण मसूरी।

353

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सीलिंग हेतु आदेश)

पत्रांक 353 / वाद संख्या आर-0537/2024

दिनांक 28 जून 2024

श्री सुरेश माथुर/हितवद्ध व्यक्ति
सुभाष शर्मा को जाने वाले मार्ग के नीचे हाथीपांव रोड़
(पक्की ढांग) क्यारकुली भट्टा
मसूरी।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त पते/स्थल पर बिना स्वीकृत मानचित्र/अनुमति के जैसा कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत अनिवार्य है, अनाधिकृत निर्माण/अनाधिकृत विकास करने पर उपरोक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद संख्या आर-0537/2024 योजित किया गया।

विपक्षी के विरुद्ध योजित उपरोक्त वाद में दिनांक 22-05-2024 को धारा 27 व धारा 28 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विपक्षी को कारण बताओ नोटिस एवं कार्य रोकने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया जो कि दिनांक 24-05-2024 को आपके द्वारा रिसीव किया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा विपक्षी को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है, तथा उक्त के सम्बन्ध में विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30-05-2024, की तिथि नियत की गयी, साथ ही विपक्षी को स्थल पर अवैध निर्माण कार्य बन्द करने हेतु निदेशित किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त वाद में दिनांक 30-05-2024, की तिथि सुनवाई हेतु नियत की गयी, जिसमें आप उपस्थित रहें। विपक्षी द्वारा किये गये/किये जा रहे निर्माण के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक लिखित जबाब दावा दाखिल नहीं किया गया। सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की पूर्व आख्या दिनांक 21-05-2024 के अनुसार उपरोक्त स्थल पर लगभग 05.00 गुणा 08.00 मी0 के क्षेत्रफल में भूतल पर कालम हेतु गड्ढे खोदकर कालम की सरिया खड़ी करने का कार्य किया जा रहा है। क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की वर्तमान स्थल निरीक्षण आख्या दिनांक 30.05.2024 के अनुसार आप द्वारा स्थल पर चोरी-छिपे निर्माण कार्य किये जाने की प्रबल सम्भावना है। उक्त अवैध निर्माण के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज/शमन मानचित्र प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा उक्त वाद को जान-बूझ कर लम्बित रखने का प्रयास किया जा रहा है। प्रकरण में विभिन्न माध्यमों से शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। विपक्षी द्वारा किये जा रहे समस्त अनाधिकृत निर्माण को सील किया जाना उचित होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि आपके द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया गया है।

अतः उक्त परिस्थितियों में तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन उपरान्त आपके अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग के आदेश पारित करने का विकल्प ही शेष रह जाता है। न्यायहित में स्थल पर चालानशुदा निर्माण को सील किया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण में सीलिंग आदेश पारित किये जाते हैं।

DOSO/M

353/6/24

01c

कमश:-02

- आदेश:-

अतः विपक्षी श्री सुरेश माथुर/हितवद्ध व्यक्ति, सुभाष शर्मा को जाने वाले मार्ग के नीचे हाथीपांव रोड़ (पक्की ढांग) क्यारकुली भट्टा मसूरी में बिना मानचित्र स्वीकृति के/अनुमति के जैसा कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुशीलन के आधार पर तथा क्षेत्रीय अभियन्ताओं की संस्तुति के आधार पर विपक्षी द्वारा स्थल उपरोक्त पर किये गये/किये जा रहे समस्त अनाधिकृत निर्माण/चालानशुदा निर्माण के विरुद्ध सीलिंग आदेश पारित किये जाते हैं। विपक्षी का प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण दिनांक 02/07/24 को सील किया जाना है। अतः आप दिनांक 02/7/24 को स्थल पर स्वयं उपस्थित रहें एवं अपना समस्त सामान हटा लें।

36/6/24

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
मसूरी।